कार्यालय महानिदेशक, दीन दयाल उपाध्याय, राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बख्शी का तालाब, लखनऊ-226202

पत्रांक- 668 /14/छात्रा0/ निविदा/2014-15 दिनांक 28-06-19

<u>निविदा सूचना</u>

संस्थान परिसर में स्थित द्वारिका एवं वृन्दावन छात्रावास में हाउस कीपिंग एवं साफ सफाई से सम्बंधित कार्य हेतु स्थानीय फर्मों/संस्थाओं से निविदा आमंत्रित की जाती है। नियम एवं शर्तें निविदा फार्म के साथ संलग्न होगी। निविदा फार्म कार्यालय अवधि में (सोमवार से शुक्रवार) संस्थान से रू0 500/- (नॉन रिफन्डेबल) का नगद भुगतान कर प्राप्त किया जा सकता है या संस्थान की वेब-साइट www.sirdup.in से डाउनलोड कर प्राप्त किया जा सकता है। निविदा फार्म डाउनलोड करने वाले फर्म को निविदा फर्म के साथ रू0 500/- (नॉन रिफन्डेबल) डिमान्ड ड्राफ्ट जो कि "महानिदेशक, दीन दयाल उपाध्याय, राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बख्शी का तालाब, लखनऊ" के पक्ष में देय हो संलग्न करना होगा। निविदा मोहरबन्द लिफाफे में दिनांक 15.7.19 अपरान्ह 12:30 बजे तक कार्यालय में प्राप्त हो जानी चाहिए। प्राप्त निविदायें उसी दिन सायं 3:00 बजे संस्थान में निविदा समिति के समक्ष खोली जायेगी।

महानिदेशक, संस्थान को एक अथवा सभी निविदाओं को बिना कारण बताये निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।

महानिदेशक

कार्यालय महानिदेशक, दीन दयाल उपाध्याय, राज्य ग्राम्य विकास संस्थान,
बख्शी का तालाब, लखनऊ-226202

संस्थान छात्रावास पर हाउस कीपिंग एवं साफ-सफाई कार्य हेतु
निविदा प्रपत्र
(मूल्य रू0 500/-मात्र)

....
जारी करने वाले
अधिकारी के हस्ताक्षर

निविदा-प्रपत्र

(तकनीकी विड)

सेवा में,

महानिदेशक,
दीन दयाल उपाध्याय,
राज्य ग्राम्य विकास संस्थान,
बख्शी का तालाब, लखनऊ।

विषय– संस्थान के छात्रावास में हाउस कीपिंग तथा सफाई/स्वीपिंग कार्य हेतु निविदा संख्या 668 **दिनांक** 28/6/19 **के सम्बंध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निविदा–प्रपत्र से सम्बंधित वांछित सूचनायें निम्नवत् है :–

1. निविदादाता फर्म/संस्था का पूरा नाम एवं रजिस्टर्ड ऑफिस का पता :
....
....
....
2. निविदादाता फर्म/संस्था का टेलीफोन नं0, मोबाइल नं0 तथा ई–मेल।
....
....
....
3. फर्म/संस्था के प्रोपराइटर/पार्टनर/डायरेक्टर का नाम जो फर्म की तरफ से हस्ताक्षर हेतु अधिकृत हो।
   (i) ....
   (ii) ....
   (iii) ....
   (vi) ....
4. (i) आयकर सम्बंधी PAN सं0 ....(छायाप्रति संलग्न करें)।

(ii) गुड्स एण्ड सर्विस टैक्स (जी0एस0टी0) पंजीयन संख्या ....

(छायाप्रति संलग्न करें)

5. (i) निविदादाता को शासकीय अर्द्धशासकीय एवं अन्य सरकारी प्रतिष्ठानों में कार्य का 03 वर्ष का अनुभव होना अनिवार्य है। उक्त हाउस कीपिंग तथा सफाई सम्बंधी कार्य का विवरण निम्नानुसार भरें तथा संतोषजनक कार्य किये जाने का अनुभव प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करें :–

अवधि		संस्था का नाम/पता जिनको उक्त सेवा प्रदान की गयी (कार्य आदेश की स्वप्रमाणित प्रति संतोषजनक कार्य सम्बंधी प्रमाण-पत्र की प्रति)	वार्षिक टर्न ओवर (रूपये में)	सेवायोजित कार्मिक की संख्या	
से	तक				
				प्रशिक्षित	अप्रशिक्षित

6(i) निविदादाता फर्म /संस्था का समान प्रकृति के कार्यों का विगत 03 वर्ष का कुल टर्न ओवर रू0 30.00 लाख होना अनिवार्य है, फर्म के विगत 03 वर्षों के टर्न ओवर का विवरण (अभिलेखों की छायाप्रति संलग्न करें)

(i) वित्तीय वर्ष 2016–17 का टर्न ओवर रू0 में ....

(ii) वित्तीय वर्ष 2017–18 का टर्न ओवर रू0 में...

(iii) वित्तीय वर्ष 2018–19 का टर्न ओवर रू0 में...

03 वर्षों का कुल योग रू0 में ....

(ii) किसी विवाद, दिवालियापन स्थिति या किसी अन्य कारण से कॉट्रेक्ट अवधि समाप्ति के पूर्व ही यदि सेवायें समाप्त हुई हो तो विवरण कारण सहित उल्लेख कीजिए।

....

....

....

(iii) पिछले तीन वर्षों के प्रदत्त आयकर की स्थिति संलग्न करें।

(i) वित्तीय वर्ष 2016–17 रू0 में ....

(ii) वित्तीय वर्ष 2017–18 रू0 में..

(iii) वित्तीय वर्ष 2018–19 रू0 में..

(आयकर रिटर्न की छायाप्रति संलग्न करें)

(iv) विगत 03 वर्षों में भुगतान किये गये सेवाकर/व्यापार कर/जी0एस0टी0 का विवरण –

(i) वित्तीय वर्ष 2016–17 रू0 में ....

(ii) वित्तीय वर्ष 2017–18 रू0 में..

(iii) वित्तीय वर्ष 2018–19 रू0 में..

(अभिलेखों की छायाप्रति संलग्न करें)

7. (i) निविदा शुल्क 500/– जमा की रसीद संख्या .... दिनांक........................... अथवा "महानिदेशक, दी.द.उ. राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बख्शी का तालाब, लखनऊ" के पक्ष में देय धनराशि रू0 500/– बैंक ड्राफ्ट का विवरण :–

1. ड्राफ्ट नं0 ....
2. दिनांक ....
3. धनराशि ....
4. देय : लखनऊ

(ii) निविदा के साथ अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट (EMD) के रूप में ''महानिदेशक, दी.द.उ. राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बख्शी का तालाब, लखनऊ'' के पक्ष में देय धनराशि रू0 10,000/– (रू0 दस हजार मात्र) बैंक ड्राफ्ट का विवरणः–

1. ड्राफ्ट नं0 ....
2. दिनांक ....
3. धनराशि ....
4. देय : लखनऊ

मैंने/हमने महानिदेशक, दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बख्शी का तालाब, लखनऊ द्वारा प्रकाशित निविदा सूचना के संदर्भ में निविदा–प्रपत्र में उल्लिखित कार्यों/शर्तों को भलीभॉति पढ़कर समझ लिया है तथा उक्त निविदा प्रपत्र में दर्शायी गयी समस्त शर्तों को स्वीकार करता हूँ/करते हैं।

उक्त हेतु निर्धारित प्रारूप (वित्तीय विड) पर अपनी दरें समस्त करों सहित (जो प्रचलन में हो) अलग सीलबन्द लिफाफे में तथा (EMD) के रूप में धनराशि रू0 10,000/– ड्राफ्ट सं0 .... दिनांक ....के साथ प्रेषित कर रहा/रहे हूँ/हैं।

हस्ताक्षरः ....
(निविदादाता/अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर)
नामः ....
पताः ....
मुहर सहित ....
दिनांकः ....

निविदा : विवरण/शर्तें

1. निविदा फार्म निविदा की शर्तें एवं कार्य विवरण दीन दयाल उपाध्याय, राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बख्शी का तालाब, लखनऊ की वेबसाइट www.sirdup.in पर उपलब्ध है। निविदा फार्म व शर्तें बेवसाइट से डाउनलोड कर फर्म द्वारा टेण्डर प्रस्तुत करते हुए महानिदेशक, दीन दयाल उपाध्याय, राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बख्शी का तालाब, लखनऊ के पक्ष में रू0 500/- का डिमाण्ड ड्राफ्ट साथ में संलग्न किया जायेगा। निविदा फार्म रू0 500/- नकद भुगतान करके कार्यालय से कार्यालय अवधि में (सोमवार से शुक्रवार) प्राप्त किया जा सकता है।
2. निविदा सीलबन्द लिफाफों में उपलब्ध करायी जायेगी। निविदा के दो भाग होगें। निविदा के प्रथम भाग में तकनीकी निविदा (अनुसूची-1) सीलबन्द लिफाफे में तथा निविदा भाग-दो में वित्तीय निविदा (अनुसूची-2) सीलबन्द लिफाफे के अलग-अलग रखकर उन दोनों सीलबन्द लिफाफों को पुनः एक बड़े लिफाफे में सीलबन्द किया जायेगा। तकनीकी निविदा की आवश्यक औपचारिकताओं की पूर्ति की स्थिति में ही सम्बंधित की वित्तीय निविदा पर विचार किया जायेगा। लिफाफे के ऊपर निविदा जिसके लिए डाली जा रही है, उसका उल्लेख तथा जिसको भेजाना है, उसका सम्बोधन अनिवार्य होगा।
3. निविदायें दिनांक .... को अपरान्ह 12:30 बजे तक डाली जा सकती हैं। इस तिथि एवं समय के पश्चात् किसी भी निविदा पर विचार नही किया जायेगा।
4. निविदायें दिनांक .... को अपरान्ह 03:00 बजे निविदा समिति के सम्मुख खोली जायेगी।
5. निविदा के साथ अर्नेस्टमनी डिपाजिट के रूप में रू0 10000/- (रू0 दस हजार मात्र) का बैंक ड्राफ्ट जो ‘‘महानिदेशक दीन दयाल उपाध्याय, राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बख्शी का तालाब, लखनऊ’’ के पक्ष में देय हो, संलग्न किया जाय। बिना अर्नेस्टमनी डिपाजिट के निविदा पर कोई विचार नही किया जायेगा।
6. अस्वीकृत निविदादाताओं की अर्नेस्टमनी डिपाजिट की धनराशि निविदा खुलने के एक माह के अन्दर लौटा दी जायेगी।
7. संस्था फर्म का विगत 03 वर्षों (2016-17, 2017-18, 2018-19) में कुल टर्न ओवर कम से कम 30 लाख होना अनिवार्य है। निविदादाता को समान प्रकृति के शासकीय अर्द्धशासकीय एवं

अन्य सरकारी प्रतिष्ठानों में कार्य का कम से कम 03 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। अनुभव प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।

8. निविदादाता फर्म का तकनीकी बिड के साथ निम्नांकित प्रपत्रों की स्वप्रमाणित प्रति संलग्न करनी होगी :-

   क- फर्म के रजिस्ट्रेशन की प्रति।

   ख- आयकर पंजीयन/पैन कार्ड की प्रति।

   ग- जी0एस0टी0 पंजीयन प्रमाण पत्र की प्रति।

   घ- श्रम विभाग में पंजीकरण की छायाप्रति।

   च- विगत 03 वर्षों (2016-17, 2017-18, 2018-19) में कुल 30 लाख की टर्न ओवर के अभिलेखों की छायाप्रति।

   छ- इस क्षेत्र में शासकीय, अर्द्धशासकीय एवं अन्य सरकारी प्रतिष्ठानों में सामान्य प्रकृति के कार्य का कम से कम 03 वर्षों का अनुभव प्रमाण पत्र।

   ज- ई0पी0एफ0/ई0एस0आई0 प्रमाण प्रति।

   झ- विगत 03 वर्षों (2016-17, 2017-18, 2018-19) में प्रतिवर्ष टैक्स जमा करने की चालान की प्रति।

9. हाउस कीपिंग तथा साफ-सफाई कार्य का विवरण अनुलग्नक 'अ' एवं 'ब' पर संलग्न है। हाउस कीपिंग के कार्यों हेतु 03 श्रमिक दिन में तथा 03 श्रमिक रात में तथा साफ-सफाई कार्यों हेतु 02 श्रमिक दिन में 02 श्रमिक रात में संस्थान छात्रावास पर उपस्थिति रखने होगें, जिनके लिए निविदा में स्वीकृत प्रतिव्यक्ति प्रतिमाह की दर से फर्म को भुगतान किया जायेगा। इसके अतिरिक्त श्रमिकों की उपस्थिति तथा उनसे मानकों के अनुरूप संतोषजनक कार्य सम्पादन कराने हेतु दिन एवं रात में पर्यवेक्षण/मॉनिटरिंग कार्य हेतु सुपरवाइजर की व्यवस्था फर्म को करनी होगी, जिसके लिए कोई अतिरिक्त भुगतान संस्थान द्वारा नही किया जायेगा।

10. रोज-रोज कार्मिकों को बदलने से उनकी कार्यदक्षता एवं गुणवत्ता प्रभावित होती है। अतः फर्म को एक बार कार्मिकों का चयन संस्थान की सहमति से कर यथा सम्भव उन्ही कार्मिकों से ही कार्य लेना होगा।

11. निविदा स्वीकृति होने के उपरान्त निविदादाता को रू0 50,000/- (रू0 पचास हजार मात्र) सिक्योरिटी धनराशि जो कि "**महानिदेशक, दीन दयाल उपाध्याय, राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बख्शी का तालाब, लखनऊ**" के पक्ष में जमा करनी होगी।

12. यह कार्य-निविदा, कार्य अनुबन्ध की तिथि से एक वर्ष तक प्रभावी रहेगी। उक्त अवधि में दर में कोई वृद्धि अनुमन्य नही होगी।

13. कार्य आदेश के एक सप्ताह के अन्दर समस्त वांछित कार्य प्रारम्भ करना होगा।

14. फर्म द्वारा लगाये जाने वाले श्रमिकों/कार्मिकों का सत्यापन पुलिस से कराना आवश्यक होगा तथा सत्यापन की प्रति कार्यालय को उपलब्ध करानी होगी। कार्य में लगे हुए श्रमिकों को निर्धारित ड्रेस में रहना आवश्यक होगा तथा प्रत्येक श्रमिक के पास परिचय पत्र होना अनिवार्य होगा। उक्त श्रमिकों/कार्मिकों द्वारा कृत किसी अवैधानिक कृत्य की जिम्मेदारी सम्बंधित फर्म/संस्था की होगी और ऐसे व्यक्तियों को तुरन्त हटाकर उचित प्रतिस्थानी की व्यवस्था सम्बंधित फर्म/संस्था द्वारा की जायेगी।

15. मानक के अनुरूप न होने पर अधिकतम 30 प्रतिशत तक की कटौती की जायेगी। इसके बाद भी सुधार न होने पर उक्त कार्य आदेश को निरस्त कर दिया जायेगा।

16. किसी भी एक निविदा को अथवा सभी निविदाओं को महानिदेशक दीन दयाल उपाध्याय, राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बख्शी का तालाब, लखनऊ द्वारा बिना कोई कारण बताये निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित होगा तथा किसी भी प्रकार के विवाद पर वाद का न्यायालय क्षेत्र लखनऊ होगा।

17. फर्म/संस्था की यह जिम्मेदारी होगी कि वह प्रत्येक श्रम कानून की सभी धाराओं का पालन करेगा तथा उनकी अवहेलना करने पर वह स्वयं उत्तरदायी होगा।

18. फर्म/संस्था को अनुलग्नक-अ एवं ब में उल्लिखित हाउसकीपिंग एवं साफ-सफाई से सम्बंधित कार्य सम्पादित करने होगें। समस्त कार्यों का बिल दो प्रतियों में मासिक भुगतान हेतु देना होगा। बिलों का भुगतान कार्य परीक्षण के पश्चात् संतोषजनक पाये जाने पर किया जायेगा।

19. फर्म/संस्था के बिलों का भुगतान बजट उपलब्ध होने पर नियमित रूप से किया जायेगा, बिल भुगतान लम्बित होने पर भी फर्म द्वारा हाउस कीपिंग एवं साफ-सफाई से सम्बंधित कार्यों का सम्पादन निरन्तर किया जाता रहेगा।

20. अनुमन्य दरें अनुबन्ध की तिथि से एक वर्ष तक के लिए मान्य होगी। आवश्यकतानुसार कार्य संतोषजनक होने पर, फर्म के अनुरोध पर महानिदेशक संस्थान द्वारा निविदा अवधि को पुनः एक वर्ष तक के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है।

21. निविदादाता द्वारा कर्मचारियों को किये जाने वाले भुगतान से ई0पी0एफ0, ई0एस0आई0 आदि वैद्यानिक देयताओं का वहन स्वयं नियमानुसार किया जायेगा। इसके लिए संस्थान उत्तरदायी नहीं होगा।

22. निविदादाता को समस्त करों यथा जी0एस0टी0 आदि का भुगतान करना होगा। इसके लिए संस्थान उत्तरदायी नहीं होगा।

23. केवल तकनीकी प्रपत्र पूर्ण करने वाली निविदादाताओं की वित्तीय बिड खोली जायेगी।

24. कुल अनुमानित कार्य की राशि लगभग 7.00 लाख है यह कम अथवा ज्यादा हो सकती है।

25. निविदादाता द्वारा निविदा प्रपत्र भरने के उपरान्त यह मान लिया जायेगा कि निविदा प्रपत्र में उल्लिखित कार्यों/शर्तों को भली-भाँति पढ़कर समझ लिया है तथा उक्त निविदा प्रपत्र में दर्शायी गयी समस्त शर्तें निविदादाता द्वारा स्वीकार की जाती है।

26. संस्थान के महानिदेशक का किसी भी मामले में दिया गया निर्णय अन्तिम निर्णय होगा।

27. यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि यह मात्र कार्य- अनुबन्ध की निविदा है। अतः निविदा फर्म के श्रमिकों के समायोजन या श्रमिक कानूनों के अनुपालन का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बंधित निविदादाता फर्म/संस्था का होगा। संस्थान इसके लिए किसी प्रकार से उत्तरदायी नही होगा।

महानिदेशक
दीन दयाल उपाध्याय,
राज्य ग्राम्य विकास संस्थान,
बख्शी का तालाब, लखनऊ

अनुलग्नक-अ

हाउस कीपिंग से सम्बंधित कार्य

1. द्वारिका छात्रावास तथा वृन्दावन छात्रावास के कमरों में झाड़ू, पोंछा व डस्टर लगाना।
2. चादर/तकिया कवर आदि बदलना।
3. पीने का पानी रखना।
4. कूलरों में पानी भरना व निकालना।
5. कमरों के अन्दर रखे समस्त फर्नीचर, विद्युत प्वाइन्ट टी0वी0 आदि की साफ-सफाई व देख-रेख करना।
6. प्रतिभागियों के जाने के बाद कमरों के सामनों को भली-भॉति चेक करके चाभी प्राप्त करना।
7. प्रतिभागियों के जाने के तत्काल बाद कमरे की सफाई कर चादर आदि लगाकर पुनः प्रतिभागी को देने हेतु कमरा तैयार करना।
8. कमरे में विद्युत/जल/फर्नीचर आदि की खराबी पर केयर टेकर को तुरन्त अवगत कराना।

अनुलग्नक-ब

स्वीपिंग/क्लीनिंग से सम्बंधित कार्य

1. द्वारिका छात्रावास तथा वृन्दावन छात्रावास के कमरों के ट्वायलेट की प्रतिदिन सफाई करना।
2. गैलरी, कामन ट्वायलेट व आंगन आदि की प्रतिदिन सफाई करना व पोछा लगाना।
3. डायनिंग हाल, रिसेप्शन हाल में प्रतिदिन नाश्ते, लन्च तथा डिनर के पूर्व झाडू व पोंछा लगाना।
4. छात्रावास के प्रांगण की सफाई व कूड़ा फेंकना।

अनुसूची-2

निविदा प्रपत्र

(वित्तीय विड)

क्रमांक	कार्य	धनराशि प्रतिमाह रू0 में (सभी करों सहित)
1	छात्रावास में हाउस कीपिंग का कार्य (अनुलग्नक-अ)	
2	साफ-सफाई (Sweeping/Cleaning) सम्बंधित कार्य (अनुलग्नक-ब)	
	कुल योग	

मै/हम, महानिदेशक, दीन दयाल उपाध्याय, राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बख्शी का तालाब, लखनऊ द्वारा प्रकाशित विज्ञापन संख्या .... के संदर्भ में .... कार्य हेतु निविदा प्रपत्र में उल्लिखित कार्य/शर्तों को पढ़कर भली-भॉति समझ लिया है तथा उक्त निविदा प्रपत्र में दर्शायी गयी समस्त शर्तों को स्वीकार करता हूॅ/करते हैं।

हस्ताक्षर : ....

(निविदादाता/अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर)

नामः ....

पता ....

....

....

मुहर सहित ....